प्रेषक,

संख्या:– 339 / XXVII(1)/ 2015

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
(अल्मोड़ा,बागेश्वर,पिथौरागढ़ एवं चम्पावत को छोड़कर)
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून:: दिनांक: 16 मार्च,2016

विषय:–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप देय धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप देय धनराशि का संक्रमण किया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के** आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप देय धनराशि **₹185560000.00 (₹अठारह करोड़ पचपन लाख साठ हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते है। उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जायेगी:–

(i) संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन, भत्तों पर व्यय की जायेगी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सदस्य जिला पंचायत) का मानदेय शासनादेश सं0 2004/XII/2011/86 (10)/2005 दिनांक 15 दिसम्बर,2011 में उल्लखित धनराशि के अनुसार किया जा सकेगा। शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

(ii) कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(iii) संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

(iv) उपयोगिता प्रमाण–पत्र अध्यक्ष जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड /सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

(v) अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता–प्रमाण 31 मार्च,2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी का होगा।

(vi) संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–196–जिला पंचायतें/परिषदें–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः–339 (1)/XXVII(1)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उत्तराखण्ड ।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड , देहरादून।
3– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड (अल्मोड़ा,बागेश्वर,पिथौरागढ़ एवं चम्पावत को छोड़कर)
5– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
7– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत को छोड़कर)
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
9– निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
10– निदेशक वित्त आयोग निदेशालय कक्ष संख्या 223 विश्वकर्मा भवन, द्वितीय तल सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रीता क्वीरा)
अनु सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्याः 339 /XXVII (1)/2015 दिनांकः /6 :मार्च, 2016 का संलग्नक।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली जिला पंचायतों को कर राजस्व में वृद्धि होने के फलस्वरूप देय धनराशि का संकमण।

(धनराशि हंजार ₹ में)

क्रम संख्या	जिला पचायत का नाम	कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप देय धनराशि
1	*2*	*3*
1	चमोली	19144
2	देहरादून	24741
3	हरिद्वार	38817
4	नैनीताल	14100
5	पौड़ी	30264
6	रूद्रप्रयाग	7864
7	टिहरी	15399
8	ऊधमसिंह नगर	23672
9	उत्तरकाशी	11559
	योग	**185560**

(₹अठ्ठारह करोड़ पचपन लाख साठ हजार मात्र)

(रीता क्वीरा)
अनु सचिव, वित्त।

बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2015-2016

अनुदान शंख्या - 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें)

लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

02 - पंचायती राज संस्थायें

196 - जिला पंचायतें/परिषदें

03 - राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन

00 - राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन

NonPlan Voted

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	Previous Allotment	Current Allotment	Name of local bodies
1	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1603071781	16-MAR-2016	79912000	24741000	
2	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1603071783	16-MAR-2016	45540000	14100000	
3	4000-Gopeshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1603071779	16-MAR-2016	61836000	19144000	
4	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1603071788	16-MAR-2016	37338000	11559000	
5	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1603071784	16-MAR-2016	97752000	30264000	
6	6100-New Tehri	4183-District Magistrate (For Grants)Tehri	H1603071786	16-MAR-2016	49740000	15399000	
7	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1603071782	16-MAR-2016	125380000	38817000	
8	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1603071787	16-MAR-2016	76460000	23672000	
9	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1603071785	16-MAR-2016	25400000	7864000	
		Total :			599358000	185560000	

वित्त एवं नियोजन
उत्तराखण्ड शासन।

N.T.C